न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–33/2016–17

शिवन पासवान **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12-10-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद शिवन पासवान, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अनुज्ञप्ति सं0 46/07 (रद्द) पंचायत–खजुरी, प्रखण्ड–नौबतपुर द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक 1169(आ0) दिनांक–28.10.2016 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–15 के अंतर्गत दिनांक–26.11.2016 को दाखिल किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक 31.03.18 को अपीलकर्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C 14495/17 शिवन पासवान बनाम राज्य में दिनांक–20.02.2018 को पारित आदेश की सच्ची प्रति दाखिल की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रश्नगत वाद में आदेश का अवतरण निम्नवत् है :– Having regard to the nature of the grievances of the petitioner, the writ petition stands disposed of. This Court expects that the Collector would dispose of the petitioner's appeal No.-33 of 2016-17 without undue delay on its own merits and in accordance with law. दिनांक–26.04.18 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित करते हुए, निम्न न्यायालय के अभिलेख मांग की गयी। दिनांक–14.06.2018 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक–1169 दिनांक–28.10.2016 द्वारा अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 46/07 जन वितरण प्रणाली की दुकान ग्राम पंचायत–खजुरी, प्रखण्ड–नौबतपुर, पटना को गलत ढंग से रद्द कर दिया गया है। उनका कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के पत्र सं0–1092(आ0) दिनांक–05.10.2016 द्वारा माह मई एवं सितम्बर–16 के अंत्योदय एवं पी0एच0एच0 खाद्यान्न का उठाव हेतु पे–इन स्लीप जमा नहीं	

करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की माँगा की गयी, जिसका प्रत्युत्तर अपीलकर्ता द्वारा दिनांक–17.10.2016 को दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के पत्र सं0–1135 दिनांक–17.10.2016 द्वारा पुनः उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसका प्रत्युत्तर अपीलकर्ता ने दिनांक–24.10.2016 को दाखिल किया। उनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने उनके स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है। अपीलकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर का आदेश ज्ञापांक–1169 दिनांक–28.10.2016 विधि सम्मत एवं नियमानुकूल नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश को खारिज करते हुए, उनकी अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनांक–12.10.2018 को विस्तारपूर्वक सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा कि अपीलकर्ता काफी गरीब है एवं जन वितरण प्रणाली की दुकान उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। उनका कथन है कि मई, 2016 का पे इन स्लीप जमा किया गया था, परन्तु खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो सका। सितम्बर, 2016 को पे इन स्लीप के पैसे के अभाव में समय पर जमा नहीं कर सके थे। उनका कथन है कि आरोप की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी गयी, फिर भी उनके द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उतर दो बार जमा किया गया, जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि दिनांक–07.10.2016 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा अपीलकर्ता की दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान निम्नांकित अनियमितितांए पाई गईः–

दुकान बंद रहने, मई–16 एवं अक्टुबर–16 का पे–इन स्लीप जमा नहीं करने, दुकान की पंजी का सही ढंग से संधारण नहीं करने, उपभोक्ताओं को कैशमेमों नहीं देने, किरासन तेल एवं खाद्यान्न का सबसे अंत में उठाव करने, आदि अनियमितताएँ प्रतिवेदित की गयी है।

अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर ने वर्णित अनियमिताओं के सम्बन्ध में

अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण पूछते हुए नियमानुसार उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अपीलकर्ता द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया कि दिनांक 07.10.2016 को समय पर दुकान खोलकर किरासन तेल का वितरण किया हूँ। लाभुकों के जाने के बाद बंद कर दिया। दुकान खुले रहने के समय पदाधिकारी आते तो भण्डार–पंजी एवं माप–तौल का सत्यापन करा देता। मैं माह जुलाई, 16 एवं सितम्बर, 16 के "पे–इन स्लीप" जमा कर दिया हूँ। साक्ष्य के रूप में छाया–प्रति संलग्न किया गया। परन्तु खाद्यान्न का उठाव अभी तक नहीं हुआ। पैसे के अभाव में माह अक्टुबर–16 के लिए "पे–इन स्लीप" जमा नहीं कर सका।पैसे का इंतिजाम नहीं हो सका। इसके लिए क्षमा मांगे है। मुखिया उनसे काफी नफरत करते है तथा अपने सहयोगियों से गलत झूठा आरोप लगाते रहते हैं। दुकान बंद रहने के कारण पंजी नहीं दिखाया तो पंजी को सही ढंग से संधारत कैसे करता। उपभोक्ताओं को कैशमेमों देता हूँ। अपीलकर्ता रोस्टर के अनुसार किरासन तेल उठाव कर वितरण करता है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षण के समय दुकान बंद पायी गयी। वैसी परिस्थिति में पंजियों का संधारण सही ढंग से नहीं करने अथवा पंजियों जाँच/निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करने सम्बन्धी आरोप सही प्रतीत नहीं होता है। पुनः यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता से मुख्यतः मई, 2016 एवं सितम्बर, 2016 का पे इन स्लीप जमा नहीं करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके सम्बन्ध में अपीलकर्ता द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वे पैसे के अभाव में पे इन स्लीप जमा नहीं कर सके थे। दुकान द्वारा माह के अंत में खाद्यान्न उठाव करने का आरोप अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लगाया गया है, परन्तु इस आशय का भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया कि किस तिथि तक खाद्यान्न का उठाव करना हैं। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि लगाये गये आरोप की प्रति दुकानदार को दिया गया है। ऊपर वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है

	कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर का आदेश ज्ञापांक–1169(आ0) दिनांक–28.10.2016 विधिसम्मत नहीं है। अतः यह मामला अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वे अपीलकर्ता के आरोप की प्रति उपलब्ध कराते हुए विधिवत सुनकर नियमानुकूल मुखर आदेश पारित करें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	